

एक नजर

आपसी रंजिश के चलते हमला

राजनांदगांव 24 सितंबर। आज दिनांक 23.09.2023 को एक व्यक्ति गंभीर रूप से घारने होकर अडिकल अस्पताल पेंडी राजनांदगांव में भर्ती होने की सूचना पर अस्पताल पहुंच कर मुजरर यात्रा करते थे यादव पिंपाल युगल कियारे यादव उम 36 वर्ष साकिन वार्ड 43 बंगाली चार बसंतपुर जिला राजनांदगांव से पहुंचा तो करने पर एक व्यक्ति चार बसंतपुर जिला राजनांदगांव (छोगा) द्वारा पुरानी बात व आपसी रंजिश को लेकर मां बहन की अस्त्रीयाली गाली गोलीच कर जान से मारने की नियत से अनेपास रखे थे धारदार चाक से गले में चाल कर प्राण थाकर हमला कर गंभीर चाटे पहुंचाना बताया। किंविट टीम के द्वारा मुख्यार के खिलाफ अपराध क्रमांक 747/23 धारा 294, 307 भारतीय कायम कर विवेचना में लिया गया।

घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत रहा यथा याम मामले की गोंयंत्रियों को देखते हुए विरिच पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान अधिकारी मीना व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा तथा नार पुलिस अधीक्षक महोदय अमित परेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमपी साह के नेतृत्व में आपसी रंजिश के देखते हुए विरिच पुलिस अधीक्षक श्रीमान गोंयंत्रियों के बतावा चाक से गले में चाल कर आपसी रंजिश को लेकर आपसी रंजिश को लेकर मां बहन की अस्त्रीयाली गाली गोलीच कर जान से मारने की नियत से अनेपास रखे थे धारदार चाक से गले में चाल कर प्राण थाकर हमला कर गंभीर चाटे पहुंचाना बताया। किंविट टीम के द्वारा मुख्यार के खिलाफ अपराध क्रमांक 747/23 धारा 294, 307 भारतीय कायम कर विवेचना में लिया गया।

7 लोगों पर प्रतिवान्धात्मक कार्रवाई

राजनांदगांव 24 सितंबर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्रीमान अधीक्षक मीना के नियंत्रण एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नार पुलिस अधीक्षक श्रीमती गोंयंत्रियों के बतावा चाक से गले में चाल कर आपसी रंजिश को लेकर आपसी रंजिश को लेकर मां बहन की अस्त्रीयाली गाली गोलीच कर जान से मारने की नियत से अनेपास रखे थे धारदार चाक से गले में चाल कर प्राण थाकर हमला कर गंभीर चाटे पहुंचाना बताया। आज दिनांक 23.09.2023 को शहर के चाक चारोंहाँ के सौदार्यीकरण के तियों कोड रूपये प्रदान किये हैं। जिसका नार नियम द्वारा किया जा रहा है। चाक चारोंहाँ के सौदार्यीकरण के सौदार्यीकरण की तापी मार्गी वार्ड 1 नं. 35 कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली निरीक्षक एवं अपराधिकारी अमित परेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली की उपस्थिति में हुडगढ़ करने वाले व शारीर व्यवस्था को भाग करने वाले अनावेदक 1. आपसी रंजिश साहु पिंपाल युगल कियारे यादव उम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 35 कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली को भाग करने वाले अनावेदक 2. धनु उम धनराज पिंपाल लक्ष्मीनारायण साहु उम 22 वर्ष साकिन अटल अवास पेंडी थाना लखाली जिला राजनांदगांव 3. आकाश राजपुर पिंपाल धनराज लाल ठाकुर उम 26 वर्ष साकिन कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव की उपस्थिति में हुडगढ़ करने वाले व शारीर व्यवस्था को भाग करने वाले अनावेदक 4. प्रकाश देवांगन पिंपाल यम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 12 थाना मोन अवास जिला ठारु उम 5. शाहिल उम विरिच पिंपाल यम 22 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 12 थाना मोन अवास अमारपारा वार्ड 1 नं. 12 थाना मोन अवास जिला ठारु उम 6. राज पांडेय पिंपाल यम 21 वर्ष साकिन चैत्रेड्डी पारा राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव 7. रुपेश महानंद पिंपाल यम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 11 स्टेन यादव राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को धारा 151 जाऊफौ 0 के तहत तत्काल गिरपत्र कर धारा 107,116(3) जाऊफौ 0 के तहत कार्यवाही कर श्रीमान एस डी एम महोदय राजनांदगांव के न्यायालय पेश किया गया जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया।

धारदार हथियार से हमला करने वाले 4 आपसी गिरपत्र

राजनांदगांव 24 सितंबर। प्रार्थिया सावित्री बांड सईम पर्व अर्जुन सईम उम 65 साल द्वारा जिला मेडिकल कालेज राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र सोनू साईमन को दिनांक 10.09.2023 के तारीकोड 11:30 बजे आपसी दिपेंद्र गोंड उम मशान, राहुल वैष्णव व तहसील पार और उमर की अन्य शारीरी पुरुषी रूपी को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाये हैं जो जिला मेडिकल कालेज हास्पिटल में एडमिट है इस पर थाना बसंतपुर में धारा 307, 34 भादवी का अपराध पंजीयन कर विवेचना किया गया। वाद दिनांक 21.09.2023 को अहल सोनू साईमन को इलाज के दौरान मुर्ह हो गई। जिस पर मार्ग निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अधिकारी मीना के निर्देशन पर आपसी रंजिशों की उपस्थिति में साकारण करने के देखते हुए विरिच पुलिस अधीक्षक श्री अमित परेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली की उपस्थिति में हुडगढ़ करने वाले व शारीर व्यवस्था को भाग करने वाले अनावेदक 1. आपसी रंजिश साहु पिंपाल युगल कियारे यादव उम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 35 कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली को भाग करने वाले अनावेदक 2. धनु उम धनराज पिंपाल लक्ष्मीनारायण साहु उम 22 वर्ष साकिन अटल अवास पेंडी थाना लखाली जिला राजनांदगांव 3. आकाश राजपुर पिंपाल धनराज लाल ठाकुर उम 26 वर्ष साकिन कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव की उपस्थिति में हुडगढ़ करने वाले व शारीर व्यवस्था को भाग करने वाले अनावेदक 4. प्रकाश देवांगन पिंपाल यम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 12 थाना मोन अवास जिला ठारु उम 21 वर्ष साकिन चैत्रेड्डी पारा राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव 7. रुपेश महानंद पिंपाल यम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 11 स्टेन यादव राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को धारा 151 जाऊफौ 0 के तहत तत्काल गिरपत्र कर धारा 107,116(3) जाऊफौ 0 के तहत कार्यवाही कर श्रीमान एस डी एम महोदय राजनांदगांव के न्यायालय पेश किया गया जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया।

धारदार हथियार से हमला करने वाले 4 आपसी गिरपत्र

राजनांदगांव 24 सितंबर। प्रार्थिया सावित्री बांड सईम पर्व अर्जुन सईम उम 65 साल द्वारा जिला मेडिकल कालेज राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र सोनू साईमन को दिनांक 10.09.2023 के तारीकोड 11:30 बजे आपसी दिपेंद्र गोंड उम मशान, राहुल वैष्णव व तहसील पार और उमर की अन्य शारीरी पुरुषी रूपी को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाये हैं जो जिला मेडिकल कालेज हास्पिटल में एडमिट है इस पर थाना बसंतपुर में धारा 307, 34 भादवी का अपराध पंजीयन कर विवेचना किया गया। वाद दिनांक 21.09.2023 को अहल सोनू साईमन को इलाज के दौरान मुर्ह हो गई। जिस पर मार्ग निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अधिकारी मीना के निर्देशन पर आपसी रंजिशों की उपस्थिति में साकारण करने के देखते हुए विरिच पुलिस अधीक्षक श्री अमित परेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव की उपस्थिति में हुडगढ़ करने वाले व शारीर व्यवस्था को भाग करने वाले अनावेदक 1. आपसी रंजिश साहु पिंपाल युगल कियारे यादव उम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 35 कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली को भाग करने वाले अनावेदक 2. धनु उम धनराज पिंपाल लक्ष्मीनारायण साहु उम 22 वर्ष साकिन अटल अवास पेंडी थाना लखाली जिला राजनांदगांव 3. आकाश राजपुर पिंपाल धनराज लाल ठाकुर उम 26 वर्ष साकिन कुआ चाक लखाली थाना कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गोला पर्व के देवार के द्वारा नियमित रूप से वर्षावार एवं अपराधिकारी अमित परेल राजनांदगांव की उपस्थिति में हुडगढ़ करने वाले व शारीर व्यवस्था को भाग करने वाले अनावेदक 4. प्रकाश देवांगन पिंपाल यम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 12 थाना मोन अवास जिला ठारु उम 5. शाहिल उम विरिच पिंपाल यम 21 वर्ष साकिन चैत्रेड्डी पारा राजनांदगांव थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव 7. रुपेश महानंद पिंपाल यम 20 वर्ष साकिन वार्ड 1 नं. 11 स्टेन यादव राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को धारा 151 जाऊफौ 0 के तहत तत्काल गिरपत्र कर धारा 107,116(3) जाऊफौ 0 के तहत कार्यवाही कर श्रीमान एस डी एम महोदय राजनांदगांव के न्यायालय पेश किया गया जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेजा गया।

सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में स

